

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: 1497 /VII-1/2019/02-ख/18

देहरादून, दिनांक: 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

(Letter of Intent)

जनपद उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम रतनपुरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.970 है० भूमि में जमा आर०बी०एम० को हटाये जाने हेतु 06 माह की अवधि के लिए अनुज्ञा पत्र चाहने हेतु आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के द्वारा निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 8 पर जिलाधिकारी कार्यालय उधमसिंहनगर में आवेदन किया गया है। आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी फौजी कालोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के आवेदन पत्र के क्रम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर को जनपद उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम रतनपुरी के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 6 के खसरा सं० 42/3 का रकबा कम कर नदी के पश्चिम दिशा में कुल रकबा 0.470 है० भूमि को समतल किये जाने हेतु उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्टर) का 06 (छः) माह की अवधि का चुगान अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर यदि उपखनिज का चुगान अनुज्ञा पत्र लेने हेतु सहमत हों तो शासनादेश संख्या 922/VII-1/11-रिट/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार EIA Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, ताकि उपखनिज का चुगान अनुज्ञा पत्र की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके।

बृजेश कुमार सन्त  
प्रभारी सचिव

संख्या: 1497 (1)/VII-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या-223/अनु०/उध०/भू०खनि०ई०/2018-19, दिनांक 29 मई, 2018 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर से शासनादेश संख्या 922/VII-1/11-रिट/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार EIA Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर, उपखनिज का चुगान अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की औपचारिक स्वीकृति हेतु सुविचारित प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी फौजी कालोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित कि EIA Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)

संयुक्त सचिव




नि.स्त

४-१-१९५४



N संख्या  
 अचिका  
 गाँव - रतनपुरा  
 पञ्जा - बाला  
 तहसील - बाला  
 जिला - जलन्धर  
 माप १०५ १६ ई.५ = १७६६  
 १९२ १५६२ - ६४ ई.  
 चाये मन्वत १३५६५

P7



वर्ग	वर्ग
वर्ग	५५
वर्ग	—
वर्ग	२८
वर्ग	—
वर्ग	—
वर्ग	—
वर्ग	—
वर्ग	—
वर्ग	—
वर्ग	—

टिकट फीस की राशि..... ५-  
 पंजिका क्रमांक..... ३५२५  
 प्रारंभिक भत्र की तिथि..... २०/२/५४  
 सूचना देने की तिथि..... २०/२/५४  
 प्रतिलिपि देने की तिथि..... २०/२/५४  
 मन्वत वाले का नाम.....

रतनपुरा  
 प्रतिलिपि कर्ता.....  
 निमान कर्ता.....  
 शब्दों की संख्या.....

सत्य प्रतिलिपि  
 २०-२-५४  
 संरक्षक  
 माल अभिलेखागार

उद्धरण खताना

क्र. : 80020204007

ग्राम का नाम : रतनपुरी

परगना : बाजपुर

तहसील : बाजपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

USU/8/11/2007

खाता खतीनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खतरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा बैय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी:	1-क - भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।							
00006	इकबाल सिंह चरनजीत सिंह अजयपाल सिंह, हरपाल सिंह प्रभपाल सिंह सुरेन्द्रपाल कौर प्रभजीत सिंह, रनबीर सिंह नपता कौर	इन्दरसिंह इन्दरसिंह अजीत सिंह अजीत सिंह दलीप सिंह अमरजीत सिंह अमरजीत सिंह	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	1384फ0से 1384फ0से 1384फ0से 1384फ0से 1388फ0से	21मि 22ब 25बमि 26बमि 42/3मि	0.3200 0.0310 0.4970 0.0090 3.7420 ✓		

0.6-11-07

संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप :-  
(उपखनिज क्षेत्रों हेतु)

1. खनन क्षेत्र का स्थान- ग्राम रतनपुरी तहसील ठाकुरपुर जनपद इलाहाबाद
2. क्षेत्रफल एवं खसरा विवरण- ग्राम- रतनपुरी तह. ठाकुरपुर के खसरा नं० 42/3/1/2  
खसरा नं० 0.935 हे० प्रक० ताला का (कृषि) नं० 1/2  
ठाकुरजीत सिंह के नाम का 2/3 के एज डायग्नोसिस
3. भूमि का प्रकार- नाप भूमि राजस्व भूमि वन भूमि न
4. उपखनिज का नाम आर० बी० एम०
5. प्रस्तावित भूमि यदि नाप भूमि है तो-  
(क) आवेदक भूस्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त है जी हाँ  
(ख) यदि आवेदक भूस्वामी नहीं है तो क्या उससे आवेदित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भूमिधरों की सहमति प्राप्त है जी हाँ यदि हां तो क्या आवेदक के पक्ष में भूमिधरों द्वारा, नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दिया गया है जी हाँ क्या आवेदक द्वारा उसकी मूल प्रति संलग्न की गयी है जी हाँ
6. आवेदक यदि फर्म या कम्पनी है तो क्या वह सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है...  
न
7. प्रस्तावित भूमि एक संहत खण्ड में है अथवा नहीं संहत खण्ड में है
8. प्रस्तावित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होता है या नहीं नहीं
9. प्रस्तावित खनन क्षेत्र नदी तल है या नदी तल के बाहर नदी तल में है
10. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज स्वस्थित चट्टानों के रूप में है या आर० बी० एम० (बालू, बजरी, बोलडर) के रूप में जी हाँ
11. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की निम्न स्थलों से दूरी जी हाँ  
(क) वन क्षेत्र से दूरी न  
(ख) नदी पुल 6 कि० मी० बांध/नहर से दूरी न

13/18- 5/18

13/18

Handwritten signature

- (ग) सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, मंदिर, शमशान आदि की दूरी..... 120 मी  
 (घ) नेशनल पार्क/संचुरी से दूरी..... 25 कि० मी

63

12. खनन क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है या नहीं.....  
 हाँ

13. प्रस्तावित स्थल के समीप कोई खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत है एवं कार्यरत है के सम्बन्ध में टिप्पणी.....  
 अभी मात्र 2 मनीफेस्ट पाश्चिम दिशा में

14. प्रस्तावित स्थल के समीप कोई धर्मकांटा पूर्व से स्थापित है या नहीं.....  
 नहीं है

15. उपलब्ध खनिज निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं.....  
 नहीं है

16. उपखनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में टिप्पणी :  
 (क) उपखनिज का नाम..... (ख) आंगणित मात्रा.....  
 उताव खारी 9350 धन मी०  
 केल्ला

17. आवेदक पर पूर्व को कोई खनन/आयकर बकाया तो नहीं है.....  
 नहीं है

18. आवेदक अपराधी प्रवृत्ति का न होने के सम्बन्ध में 06 माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र है अथवा नहीं.....  
 सत्यान है

19. गठित समिति की संस्तुति में समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है अथवा नहीं.....  
 प्रस्तावित विभाग के खसरा न 42/3 पर जापकत है। जगदामा कुलज से

20 - ~~खनन की जा रही है।~~

सहायक अभियन्ता,  
 सिंचाई विभाग,  
 सदस्य।

खनिज महार  
 जनन विभाग  
 उताव खारी

प्रसादीय वनाधिकारी,  
 वन विभाग,  
 सदस्य।

खान अधिकारी/खान निरीक्षक,  
 खनन विभाग-सदस्य सचिव।

ए. ए. लाल  
 वाजपुर

उप जिलाधिकारी,  
 राजस्व विभाग,  
 अध्यक्ष।

18  
 कुमार  
 निरीक्षक  
 तानपुर  
 वाजपुर

(नोट-गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।)